बिहार सरकार
बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
(आपदा प्रबंधन विभाग)
द्वितीय तल, पंत भवन, बेली रोड, पटना–800001

आउटसोर्सिंग के आधार पर अभिलेखों की स्कैनिंग एवं डिजिटाइजेशन हेतु अल्पकालीन निविदा का आमंत्रण

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, पटना द्वारा एतद् द्वारा इच्छुक निबंधित सॉफ्टवेयर एजेंसियों से प्राधिकरण द्वारा संधारित संचिकाओं, पंजियों एवं अन्य अभिलेखों के स्कैनिंग तथा डिजिटाइजेशन हेतु मुहरबंद अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक निबंधित एजेंसियाँ **दिनांक 08.02.2022 के अप0 05.00 बजे तक** निर्धारित शर्त्तों के अधीन मुहरबंद लिफाफा (तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग–अलग लिफाफा में) निविदा सचिव, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, द्वितीय तल, पंत भवन, बेली रोड, पटना– 800001 में डाक/कुरियर के माध्यम से भेज सकते हैं।

I. निविदा प्राधिकरण के आंतरिक क्रय समिति के समक्ष **दिनांक 09.02.2022 को अप0 03.00** बजे खोली जायेगी। निविदा खुलने के समय निविदादाता को स्वयं या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि का उपस्थित रहना अनिवार्य है। तकनीकी निविदा पहले खोली जायेगी तथा इसमें सफल निविदाकारों के हीं वित्तीय निविदा पर विचार किया जायेगा।

II. तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग–अलग मुहरबंद लिफाफों में देना होगा। अग्रधन की राशि 5,000/– (पाँच हजार) रुपये मात्र का डिमांड ड्राफ्ट जो सचिव, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, पटना के पक्ष में देय हो, निविदा के साथ जमा करना होगा। अस्वीकृत निविदा का अग्रधन वापस कर दिया जायेगा। तकनीकी निविदा की शर्तें कंडिका–2 में अंकित है। वित्तीय निविदा के तहत वांछित सेवाएँ यथा प्रति पृष्ट स्कैनिंग की दर तथा अधोलिखित अन्य सेवाओं की दर अंकित करनी होगी।

2. निविदाकर्त्ता के लिए निम्नलिखित तकनीकी अर्हताएँ आवश्यक होगीः–

a) सरकारी विभाग/कार्यालय में डाटा स्कैनिंग, डिजिटाइजेशन एवं स्टोरेज का कार्यनुभव।
b) फर्म का जी0एस0टी0 निबंधन प्रमाण पत्र।
c) पैन कार्ड।
d) कम्पनी/स्वामित्व/पार्टनरशीप का निबंधन प्रमाण पत्र।
e) विगत एक वर्ष का आयकर रिटर्न की छायाप्रति।
f) डाटा स्कैनिंग, डिजिटाइजेशन एवं स्टोरेज के लिए पर्याप्त आधारभूत संरचना– यथा कार्यबल तथा कम्प्यूटर, हाई स्पीड स्कैनर (उचित document feeder के साथ), सर्वर आदि फर्म के पास उपलब्ध होना चाहिए।
g) प्रजेन्टेंशन दिया जाना अनिवार्य होगा (पावर प्वाईंट प्रेजेन्टेशन निविदा के साथ संलग्न करना होगा।
h) निविदाकर्त्ता द्वारा क्रमांक (a) से (g) तक के प्रमाण पत्र निविदा के साथ जमा करना होगा।

3. चयन का आधारः–

वित्तीय निविदा में सबसे कम कीमत उद्धत करने वाली एजेंसी को "वर्क ऑडर" निर्गत किया जायेगा।

4. सामान्य अनुदेशः–

a) निविदा अभिलेख फर्म के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्त्ता द्वारा हस्ताक्षरित होना होगा। प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्त्ता द्वारा सभी संलग्न अभिलेखों को हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए।
b) तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा के आवेदनों को वांछित कागजात संलग्न कर अलग–अलग लिफाफे में तकनीकी एवं वित्तीय निविदा लिखकर तथा बंद कर उक्त दोनों लिफाफों को एक बड़े लिफाफा में डालकर मुहरबंद करते हुए लिफाफा पर शीर्ष "बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, पटना हेतु स्कैनिंग एवं डिजिटाइजेशन की अल्पकालीन निविदा" लिखकर जमा करना होगा। अर्हताओं से संबंधित कागजातों की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न की जाय तथा मूल प्रति मांगे जाने पर दिखाया जाना अनिवार्य होगा।

c) वित्तीय निविदा हेतु प्रपत्र निम्नवत् हैः–

Sl. No.	Description	Rate in INR (Figures & Words) Excluding GST
1	Letter/Document Scanning (per side of sheet)	

5. **कार्य की प्रकृतिः–**

(i) बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, पटना के प्रशाखाओं/कोषांगों से प्राप्त आवेदनों/पत्रों/संचिकाओं/अभिलेखों को प्राप्त करना।

(ii) संचिकाओं/पंजियों/अभिलेखों के सभी पृष्ठों को Optical Character Recognition तकनीक का प्रयोग करते हुए PDF Format में स्कैन (B&W- 150-200 DPI, Color अधिकतम 300 dpi) करना।

(iii) Scanning के उपरांत बनाई गई फाईल NIC के e-Office Software के Compatible होना चाहिए।

(iv) PDF File को e-Office सॉफ्टवेयर में अपलोड करना तथा आवश्यक डाटा की प्रविष्टि। e-Office Software NIC के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा।

(v) संबंधित शाखा/कोषांगों से प्राप्त पत्रों/आवेदनों/संचिकाओं/अभिलेखों को लॉग बुक में इन्ट्री करने के माध्यम से ले जाना एवं लॉग बुक के माध्यम से वापस लौटना अथवा निर्धारित कॉम्पैक्टर स्थल पर कार्यालय में इन्हें रखवाना।

(vi) संचालन व रख–रखाव। वार्षिक रखरखाव अनुबंध एक वर्ष का होगा।

6. **अन्य शर्तेः–**

1. अभिलेख के क्षतिग्रस्त होने पर प्रतिपूर्ति की जवाबदेही फर्म की होगी।
2. सेवा में टूट होने पर जमानत राशि जब्त कर वैधानिक कार्रवाई की जा सकती है।
3. चयनित निविदादाता द्वारा सेवा उपलब्ध न कराने पर उपरोक्त अर्हता पूरी करने वाले अन्य निविदादाता से सेवा प्राप्त की जायेगी।
4. सफल निविदादाता को विभाग के साथ एकरारनामा करना होगा।
5. Scanning एवं सॉफ्टवेयर में अपलोडिंग का कार्य 01 माह के भीतर पूर्ण कर लिया जायेगा। विशेष परिस्थिति में आवश्यकतानुसार प्राधिकरण से अनुमति के पश्चात यह अवधि बढ़ाई जा सकेगी।
6. निविदा को बिना सूचना एवं कारण बताये रद्द करने का अधिकार सचिव, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, पटना को सुरक्षित रहेगा। विस्तृत जानकारी एवं शर्त्तों के लिए बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, पटना के कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है।
7. कार्य समाप्ति के पश्चात् विपत्र प्रस्तुत करने के उपरांत आवश्यक सत्यापन के पश्चात् 21 कार्य दिवस के अन्दर विपत्र का भुगतान नियमानुसार किया जायेगा।
8. कार्यादेश निर्गत करने के पश्चात् 03 (तीन) दिनों के अन्दर कार्य प्रारंभ करना होगा।
9. कार्यो में किसी प्रकार की त्रुटि होने पर नियमानुसार कारवाई की जायेगी।

(मीनेन्द्र कुमार)
सचिव
बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण,
पटना